

भवन निर्माण पूर्ण होने तथा उपयोग में लाने से पूर्व प्राधिकरण में आवेदन कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

Other's Property

आसनादेशानुसार स्थल पर निम्नानुसार.....वृक्ष लगाने होंगे।

स्थल पर भूखण्ड/भवन के साथ स्थित नाले/नाले ड्रेन को कवर नहीं किया जाएगा

यदि प्रस्तावित उपयोग से अन्यथा कोई प्रयोग परिसम्पत्ति का किया जायेगा तो मानचित्र अनुमोदन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं किये गये निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है।

मानचित्र की स्वीकृति से किये गये भवन/भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्राधिकरण प्रभाव नहीं होगा।

M.D.A Plan No.-1/2004
(Residential)

SARASWATI LOK PH.-1
12.00 mtr. WIDE EXISTING ROAD

9.00 mt. WIDE ROAD

9.00 mt. WIDE ROAD

Other's Property

M.D.A Plan No.-1/2004
(Residential)

SARASWATI LOK PH.-1
12.00 mtr. WIDE EXISTING ROAD

9.00 mt. WIDE ROAD

9.00 mt. WIDE ROAD

Other's Property

M.D.A Plan No.-1/2004
(Residential)

Other's Property






जॉच किया
अवर अभियन्ता

मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ
नियंत्रण सं. 20/14
दिनांक 22.08.2014 से दिनांक 21.08.2014 तक
स्वीकृत
प्रकारी अधिकार

LANDSCAPE, ELECTRIC & SERVICES PLAN

RESIDENTIAL SUBDIVISION PLAN OF SARASWATI KUNJ COLONY SITUATED AT KASBA MEERUT, VIA DELHI ROAD KHASRA NO. :- 2117 (Part)

LEGEND :-

-  DRAIN & CULVERT
-  WATER SUPPLY LINE
-  SEWER LINE
-  ELECTRIC LINE
-  TREE

M/S AGARWAL ENTERPRISES

SMT. MADHU GUPTA W/O
SH. AMIT KUMAR Partner

ARCH./ ENG.

SCALE :-

1:200

DWG. BY

